सेवा में

श्रीमान निदेशक प्रशासन एंव परिवीक्षण
आ० न० दे० कृषि एव प्रौ० वि० वि०
कुमारगंज अयोध्या

03/11/2019

विषय - स्वंम की सुरक्षा के सन्दर्भ में
द्वारा - उचित माध्यम

महोदय

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी कौशलेन्द्र सिंह M.Sc Ag प्रथम वर्ष का छात्र है, को आये दिन विरेन्द्र यादव B.Sc (F.Sc) तृतीय वर्ष द्वारा धमकी दिया जाता है और अभद्र शब्दो का प्रयोग करता है और वह न केवल मुझे अपितु विश्वविद्यालय के उच्च सम्मानित व जिम्मेदार पदो पर आसीन पदाधिकारियो को भी अभद्र शब्द कहता है, जिसका कारण यह है कि स्थानीय है। दिनाक 4/10/2019 को समय लगभग 1 बजे विरेन्द्र यादव ने यमुना छात्रावास के सामने मुझे अज्ञात मो० न० से बुलाकर मारा पीटा जिससे मुझे ज्यादा चोट आ गई तथा भद्दी-2 गाली भी दी तथा जान से मारने की धमकी दी।

अत: महोदय से विनम्र निवेदन है कि मामले की जाँच कर उचित कारयवाई करने की कृपा करें।

प्रार्थी
कौशलेन्द्र सिंह
M.Sc Ag S.S
कमरा न० 20
मो० न० 9260986105

Section of D.S.W.
Receipt No. 1072
Date 2-11-19

DAM
Forwarded for n.a. please.
04.11.19
Dean Student Welfare
A.N.D.Univ.of Agri.& Tech.
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

ST
I-D A-11147/19
06/11/19
DAM
4/11/19
प्रशासनिक कार्यालय
डायरी क्रमांक 419654
दिनांक 04-11-19
2/11/19

Scanned with CamScanner

तत्काल

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, नरेन्द्र नगर, कुमारगंज, अयोध्या।

पत्रांक– 07 / स्था0 / आशु.–जाँच / विविध / कौशलेन्द्रसिंह,(एमएससी.ए.जी.)छात्र / 2165 दिनांकः 13/11/019

सेवा में,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

महोदय,

कृपया श्री कौशलेन्द्र सिंह, M.Sc.(Ag.) छात्र के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 03–11–2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार श्री वीरेन्द्र यादव B.Sc.(F.Sc.) तृतीय वर्ष के छात्र द्वारा श्री कौशलेन्द्र सिंह, छात्र एम0एस0सी0 (ए.जी.) को अज्ञात मोबाइल फोन से बुलाकर मारा पीटा गया है तथा गाली–गलौज, व धमकी दी गयी है। छात्रों की सुरक्षा तथा अनुशासन का प्रकरण आपसे सम्बन्धित है। प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने के बजाय आप द्वारा इसे प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया है। छात्रों की सुरक्षा व उनमें अनुशासन बनाये रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही है।

उक्त प्रार्थना पत्र मूल रूप में संलग्न कर आपको इस आशय प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि छात्रों में सुरक्षा व अनुशासन की भावना विकसित हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

D.S.W. ... Ayodhya
1125
14-11-19

भवदीय,

13/11/19

(आर0के0 जोशी)

निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण

पत्रांक– 07 / स्था0 / आशु.–जाँच / विविध / कौशलेन्द्रसिंह,(एमएससी.ए.जी.)छात्र / दिनांकः

प्रतिलिपि कुलपति के सचिव को मा0 कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(आर0के0 जोशी)

निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण

Assitt Acct
14.11.19

Dean Student Welfare
N.D. University of Agri. & Tech
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya Gen.complaint

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या

दिनांक: 16-11-19

पत्रांक–एन.डी.यू.ए.टी.–09 / सूचना / 2019 / 411

कार्यालय ज्ञाप

यमुना छात्रावास में कमरा नं0 86 में श्री कौशलेन्द्र सिंह, आई0डी0 नं0 ए–11147 / 19 एम0एस0सी0 (कृषि) मृदा विज्ञान (प्रथम वर्ष) के साथ स्नातक के कुछ छात्रों द्वारा अभद्रता एवं मारपीट की घटना के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय ने अनुशासन समिति का गठन किया है, जो निम्नवत है–

कमांक	नाम	पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	डा0 डी0 नियोगी	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	अध्यक्ष
2.	डा0 पी0के0 सिंह	कुलसचिव	सदस्य
3.	डा0 आर0 के0 जोशी	निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण	सदस्य
4.	डा0 डी0के0 द्विवेदी	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय	सदस्य
5.	डा0 सुमन प्रसाद मौर्या	महिला छात्रावास अधीक्षिका	सदस्य
6.	डा0 भानु प्रताप	छात्रावास अधीक्षक यमुना	सदस्य
7.	डा0 आर0 के0 पाठक	सहायक छात्रावास अधीक्षक यमुना	सदस्य
8.	डा0 नवाज अहमद खान	अल्पसंख्यक	सदस्य
9.	डा0 राज बहादुर	पिछड़ा वर्ग	सदस्य
10.	डा0 उमेश चन्द्रा	अनुसूचित जाति / जनजाति	सदस्य
11.	डा0 जसवन्त सिंह	अन्य छात्रावास अधीक्षक	सदस्य

अतः **दिनांक 19.11.2019 को प्रातः 11.10 बजे** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बैठक आहूत की गयी है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, जिससे संदर्भित प्रकरण पर विचार–विमर्श एवं निर्णय लेते हुए माननीय कुलपति महोदय को अवगत कराया जा सके।

16.11.19

(डी0 नियोगी)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Student Welfare
N.D.Univ.of Agri.& Tech
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

Notice

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या

पत्रांक–एन.डी.यू.ए.टी.–09/सूचना/2019/414 दिनांक: 18-11-19

कार्यालय ज्ञाप

यमुना छात्रावास में कमरा नं0 86 में श्री कौशलेन्द्र सिंह, आई0डी0 नं0 ए–11147/19 एम0एस0सी0 (कृषि) मृदा विज्ञान (प्रथम वर्ष) के साथ स्नातक के कुछ छात्रों द्वारा अभद्रता एवं मारपीट की घटना के सम्बन्ध में निम्नलिखित छात्र/छात्रा से पूंछताछ की आवश्यकता है–

कम सं0	नाम	आई0डी0 नं0	छात्रावास का नाम
1.	श्री विरेन्द्र कुमार रावत	ए–9855/17	अमरावती छात्रावास
2.	श्री कौशलेन्द्र सिंह	ए–11147/19	यमुना छात्रावास
3.	श्री विरेन्द्र यादव	एफ–9917/17	ब्रम्हपुत्र छात्रावास
4.	श्री उज्जवल वर्मा	ए–9279/16	अचिरावती इण्टरनेशनल
5.	कु0 शालिनी गौड़	ए–9714/17	गोमती महिला छात्रावास
6.	श्री अतुल कुमार	ए–9760/17	अमरावती छात्रावास
7.	श्री विनय कुमार	ए–9852/17	अचिरावती इण्टरनेशनल
8.	श्री कपिल	ए–9775/17	अमरावती छात्रावास
9.	श्री अविनाश	ए–9761/17	अचिरावती इण्टरनेशनल
10.	श्री जितेन्द्र सिंह		यमुना छात्रावास
11.	श्री गौरव सिंह		यमुना छात्रावास
12.	श्री शुभम यादव		यमुना छात्रावास
13.	श्री लवकुश		यमुना छात्रावास

अतः **दिनांक 19.11.2019 को प्रातः 11.00 बजे** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अनुशासन समिति की बैठक आहूत की गयी है जिसमें आप सभी छात्र/छात्रा उपस्थिति होकर अपना लिखित एवं मौखिक बयान दर्ज करायें। उपस्थित न होने पर आपके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

18.11.19

(डी0 नियोगी)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Notice 2019

Scanned with CamScanner

यमुना छात्रावास में मारपीट की घटना के सम्बन्ध में अनुशासन समिति की बैठक (दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2019) की कार्यवृत्ति–

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे–

1. डा0 डी0 नियोगी, अध्यक्ष
2. डा0 पी0के0 सिंह, सदस्य
3. डा0 आर0 के0 जोशी, सदस्य
4. डा0 डी0के0 द्विवेदी, सदस्य
5. डा0 सुमन प्रसाद मौर्या, सदस्य
6. डा0 आर0 के0 पाठक, सदस्य
7. डा0 नवाज अहमद खान, सदस्य
8. डा0 राज बहादुर, सदस्य
9. डा0 उमेश चन्द्रा, सदस्य
10. डा0 जसवन्त सिंह, सदस्य

यमुना छात्रावास में दिनांक 05.10.2019 को दिन में दोपहर 12.30 बजे हुई मारपीट की घटना के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित अनुशासन समिति के समक्ष उक्त घटना में संलिप्त/सम्बन्धित सभी 12 छात्रों एवं एक छात्रा को बुलाकर पूछताछ की गयी सभी सम्बन्धित छात्रों से समिति ने घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर छात्रों से लिखित बयान प्राप्त किये।

उक्त घटना से सम्बन्ध में पूर्व में अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पत्रांक संख्या एन.डी.यू.ए.टी.–09/स्था/व्य/2019/308 दिनांक 05.10.2019 द्वारा गठित समिति की जांच आख्या का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा उक्त पत्रावली में कुलपति महोदय से प्राप्त निर्देश के कम में गहन विचार विमर्श की वाद समिति निम्न निर्णय पर पहुंची है–

1. दिनांक 05.10.2019 को अपरान्ह लगभग 12.30 बजे यमुना छात्रावास में निवास कर रहे श्री कौशलेन्द्र सिंह, एम0एस0सी0 (कृषि) प्रथम वर्ष के साथ स्नातक कक्षाओं में पढ़ रहे कुछ छात्रों द्वारा मारपीट की गयी। इस मारपीट में मुख्य रूप से श्री विरेन्द्र रावत, बी0एस0सी0 (कृषि) तृतीय वर्ष, श्री विरेन्द्र प्रताप यादव, बी0एफ0एस0सी0, तृतीय वर्ष, श्री विनय कुमार बी0एस0सी0 (कृषि) तृतीय वर्ष तथा श्री अतुल विश्वकर्मा, बी0एस0सी0 (कृषि) तृतीय वर्ष मुख्य थे।
2. जांच के दौरान प्रकाश में आया कि श्री शुभम यादव,एम0एस0सी0 प्रथम वर्ष तथा श्री लवकुश, एम0एस0सी0 प्रथम वर्ष द्वारा घटना में शामिल श्री अतुल कुमार विश्वकर्मा एवं श्री विनय कुमार, बी0एस0सी0 (कृषि) तृतीय वर्ष को इरादातन यमुना छात्रावास में मध्यान भोजन के लिये बुलाया गया था तथा इन दोनो छात्रों ने यमुना छात्रावास में श्री शुभम एवं श्री लवकुश के साथ भोजन किया। भोजन के उपरान्त इनके द्वारा श्री कौशलेन्द्र सिंह को छात्रावास के बाहर बुलाकर वहां पहले से उपस्थित श्री विरेन्द्र रावत एवं श्री विरेन्द्र प्रताप यादव के साथ मिलकर पीटा गया जिससे श्री कौशलेन्द्र को चोट आई एवं उन्हें उनके साथ के अन्य साथियों द्वारा चिकित्सालय में लाया गया तथा छात्रावास अधीक्षक एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण को सूचित किया गया।

Scanned with CamScanner

3. जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि दिनांक 3.10.2019 को गृह विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित एक समारोह की समाप्ति के बाद कु0 शालिनी गौड़, बी0एस0सी0 (कृषि) तृतीय वर्ष की वजह से श्री कौशलेन्द्र सिंह एवं श्री विरेन्द्र रावत के बीच कुछ वाद विवाद हुआ था।

4. जांच में यह भी प्रकाश में आया कि श्री कौशलेन्द्र सिंह, श्री विरेन्द्र रावत एवं कु0 शालिनी गौड़ इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के पूर्व ज्ञान कोचिंग, कानपुर में सहपाठी थे तथा कौशलेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि उस समय श्री विरेन्द्र रावत एवं कौशलेन्द्र के बीच पूर्व में भी वाद विवाद हुआ था।

5. कु0 शालिनी गौड़ द्वारा श्री कौशलेन्द्र सिंह एवं श्री विरेन्द्र रावत के बारे में जानकारी होने तथा साथ में ज्ञान कोचिंग में होने की पुष्टि की गयी और यह बताया गया कि मारपीट की घटना के बाद श्री विरेन्द्र रावत द्वारा घटना की जानकारी फोन पर दी गयी।

उक्त तथ्यों के आधार पर समिति निम्न निष्कर्ष पर पहुंची है–

1. कु0 शालिनी गौड़, कौशलेन्द्र सिंह एवं विरेन्द्र रावत आदि इस विश्वविद्यालय में आने के पूर्व सहपाठी होने के कारण पूर्व की घटनाओं की परणिति के रूप में उक्त घटना हुयी है।
2. श्री शुभम यादव और लवकुश, विरेन्द्र रावत, विरेन्द्र प्रताप यादव, विनय कुमार और अतुल विश्वकर्मा द्वारा नियोजित तरीके से यमुना छात्रावास में उक्त घटना को अंजाम दिया गया ।
3. श्री शुभम यादव एवं लवकुश को मध्यस्थ बनाकर श्री विरेन्द्र रावत एवं श्री विरेन्द्र प्रताप यादव द्वारा श्री कौशलेन्द्र सिंह को यमुना छात्रावास के सामने पीटा गया।
4. श्री शुभम यादव द्वारा समिति को बताया गया कि कु0 शालिनी गौड़ के इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय श्री विरेन्द्र रावत द्वारा शालिनी को विश्वविद्यालय में श्री शुभम यादव द्वारा संरक्षण दिया जाता रहा है।
5. श्री विनय कुमार एवं अतुल विश्वकर्मा द्वारा यमुना छात्रावास में भोजन करते समय अपने अन्य साथियों को यमुना छात्रावास बुलाया गया एवं पारपीट की गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति निम्नानुसार संस्तुति करती है–

➢ श्री विरेन्द्र रावत, श्री विरेन्द्र प्रताप यादव, श्री विनय कुमार और श्री अतुल विश्वकर्मा द्वारा यमुना छात्रावास में जाकर स्नातकोत्तर के छात्र श्री कौशलेन्द्र सिंह से मारपीट की एवं घायल किया । अतः इस चारो छात्रों को दो सेमेस्टर के लिये विश्वविद्यालय एवं छात्रावास से निष्कासित किया जाय।

➢ श्री शुभम यादव एवं श्री लवकुश ने उपरोक्त छात्रों को यमुना छात्रावास बुलाकर श्री कौशलेन्द्र सिंह से मारपीट करने में अहम भूमिका अदा की। यदि श्री शुभम एवं श्री लवकुश इन्हें छात्रावास में न बुलाते तो यह घटना नही घटती। अतः घटना में इनकी भूमिका के कारण श्री शुभम एवं श्री लवकुश को एक सेमेस्टर के लिये छात्रावास एवं विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाय।

➢ श्री कौशलेन्द्र सिंह उक्त घटना कम में पूर्व से ही एक पार्टी रहे हैं और विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद भी पुरानी घटना के आधार पर अनुशासनहीनता

Scanned with CamScanner

की कार्यवाही में संलिप्त रहे जिसमें श्री विरेन्द्र रावत को धमकाने का प्रकरण भी सम्मिलित है। अतः श्री कौशलेन्द्र सिंह को एक सेमेस्टर के लिये छात्रावास एवं विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है।

- कु0 शालिनी गौड उक्त पूरे घटना की केन्द्र विन्दु रही हैं किन्तु परोक्ष रूप से मारपीट की घटना में इनकी संलिप्तता नही है। अतः समिति उपरोक्तानुसार संस्तुति करती है इन्हें भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से दूर रहने हेतु कठोर चेतावनी दी जाय।

20.11.19 | 20-11-2019 | 20-11-19 | 20.11.19 | 20.11.2019

(आर0 के0 पाठक)	(नवाज अहमद खान)	(राज बहादुर)	(उमेश चन्द्रा)	(जसवन्त सिंह)
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य

20.11.19 | 20.11.19 | 20-11-19 | 20/11/19

(सुमन प्रसाद मौर्या)	(डी0के0 द्विवेदी)	(पी0के0 सिंह)	(आर0 के0 जोशी)
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य

20.11.19

(डी0 नियोगी)
अध्यक्ष

Seen
29.11.19
Vice Chancellor

Notice 2019

Scanned with CamScanner

आदेश

दिनांक 05.10.2019 को यमुना छात्रावास में घटित घटना के सम्बन्ध में अनुशासन समिति की आख्या एवं निर्णय की संस्तुति पर माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त एवं विद्वत परिषद के प्रत्याशा में निम्नलिखित छात्रों के नाम के सम्मुख अंकित दण्ड दिया जाता है–

क्र0 सं0	छात्र का नाम	आई0डी0नं0	दण्ड
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार रावत, अमरावती श्री विरेन्द्र प्रताप यादव (ब्रम्हपुत्र) श्री विनय कुमार (अमरावती) श्री अतुल कुमार विश्वकर्मा (अमरावती छात्रावास)	ए–9855/17 एफ–9917/17 ए–9852/17 ए–9760/17	सत्र 2019–20 के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिये विश्वविद्यालय एवं छात्रावास से निष्कासित किया जाता है।
2.	श्री शुभम यादव श्री लवकुश (यमुना छात्रावास)	ए–8493/15/19 ए–8437/15/19	सत्र 2019–20 के प्रथम सेमेस्टर के लिये छात्रावास एवं विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है।
3.	श्री कौशलेन्द्र सिंह (यमुना छात्रावास)	ए–11147/19	सत्र 2019–20 के प्रथम सेमेस्टर के लिए छात्रावास एवं विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है।
4.	कु0 शालिनी गौड़ (गोमती छात्रावास)	ए–9714/17	कु0 शालिनी गौड को भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से दूर रहने हेतु कठोर चेतावनी दी जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

02.12.19

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
आचार्य न0दे0कृषि एवं प्रौ0वि0वि0
कुमारगंज-अयोध्या

कार्यालय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक–एन.डी.यू.ए.टी.–09/04/छात्र अनु0/ ५५९ /2019 **दिनांकः 2-12-19**

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय
3. कुलसचिव ।
4. छात्रावास अधीक्षक/सहायक छात्रावास अधीक्षक।
5. सूचना पट्ट।
6. छात्र के अभिभावक को सूचनार्थ।

02.12.19

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
आचार्य न0दे0कृषि एवं प्रौ0वि0वि0
कुमारगंज-अयोध्या

Student Action Proceeding

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान् कुलपति महोदय,
ANDUA&T कुमारगंज अयोध्या

Receipt
No. 4403 Date 3/12/19
Signature.........
Office of the Vice-Chancellor
N.D.U.A.T.,Kumarganj, Ayodhya (U.P.)

महोदय,

Put Up for Review

DSW

सादर प्रार्थना है कि हम प्रार्थी गण दिनांक 05/10/19 को यमुना छात्रावास मे घटित घटना के सम्बंध मे अनुशासन समिति द्वारा हम छात्रों को दण्डित किया गया है। जिसमे हम छात्रों को 1-2 सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय एवं छात्रावास से निष्कासित किया गया है।

हम छात्रों की सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 02/12/19 से चल रही है तथा दिनांक 02/11/19 को शाम 4 बजे दण्ड का आदेश प्राप्त हुआ है। इस दण्ड से हम छात्रों को भविष्य में बहुत नुकसान पहुँचेगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि जब तक हम छात्र इस विश्वविद्यालय परिसर में है तबतक हम छात्रों के द्वारा इस घटना की पुनरावृत्ति नही होगी, ऐसा हम छात्र आपको विश्वास दिलाते हैं।

Vice Chancellor

1324
3/12/19

अतः आपसे निवेदन है कि महोदय आप हम लोगों को बतौर अभिभावक क्षमा करते हुए परीक्षा देने एवं छात्रावास मे रहने की अनुमति प्रदान करें तथा हम छात्रों पर लगे दण्ड को माफ करने की कृपा करें। भविष्य में हम लोगों से किसी प्रकार की गलती नही होगी। हम प्रार्थी गण आपके आजीवन आभारी रहेंगे।

Assitt Acctt

05-12-19

Dean Student Welfare
N.D.U.A.T. Agri.& Tech
Narendra Nagar, Kumarganj
Ayodhya

सादर धन्यवाद।

दिनांक
03/12/19

प्रार्थीगण
शैलेन्द्र सिंह (A-11147/19)
वीरेन्द्र कुमार (A-9855/17)
Atul Vishwakarma (A-9760/17)
Vinay Kumar (A-9852/17)
Virendra Pratap (F-9917/17)
Shubham yadav (A-8493/15/19)
Lavkush (A-8437/15/19)

संलग्नक
1- पत्रांक एन.डी.यू.ए.टी-09/04/छात्रअनु./449/2019
2- शपथ पत्र

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80AD 562111

सेवा में,

श्रीमान् कुलपति महोदय
ANDUAT कुमारगंज अयोध्या

महोदय,

सादर अभिवादन के साथ प्रार्थना है कि हम प्रार्थी गण कृषि महाविद्यालय के छात्र हैं। हमसे जाने अनजाने मे गलती हो गई थी, जिससे दिनांक 02/12/19 को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हम सभी छात्रों को दण्डित किया गया है। जबकि हम छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 02/12/19 से चल रही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हम प्रार्थी गण को एक बार क्षमा करने की कृपा करें। जिससे हम छात्रों का भविष्य खराब होने से बचसके।

अतः भविष्य मे हम छात्रों से ऐसा कोई प्रकरण नहीं होगा।

हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगें।

दिनांक 03/12/19

संलग्नक हस्ताक्षर

प्रार्थी गण
(A-11147/19) [signature]
(A-9855/17) वीरेन्द्र कुमार

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80AD 562115

प्रार्थीगण -

A-9760/17 - अतुल विश्वकर्मा

A-9852/17 - Vinay Kumar

F-9917/17 - Virendra Pratap

A-8437/15/19 - Lavkush

A 8493/15/19 - Shubham Yadav

Scanned with CamScanner

आदेश

इस कार्यालय से पारित आदेश सं0 एन.डी.यू.ए.टी.–09/04/छात्र अनु0/449/ 2019 दिनांक 02.12.2019 द्वारा दिनांक 05.10.2019 को यमुना छात्रावास में घटित घटना में संलिप्त छात्र/छात्रा को जांचोपरान्त माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पर दण्डित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में छात्रों द्वारा लिखित माफीनामा एवं दण्ड को कम करने के लिए अनुरोध किया है। छात्रों के अनुरोध के आधार पर माननीय कुलपति महोदय ने पुर्नविचार करने का निर्णय लिया है। उक्त के कम में उपरोक्त आदेश को अग्रिम आदेश तक शिथिल किया जाता है।

10.12.19

Dean Student Welfare
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

कार्यालय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक–एन.डी.यू.ए.टी.–09/04/छात्र अनु0/ 475 **/2019** **दिनांक:** 11-12-19

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय
3. कुलसचिव ।
4. छात्रावास अधीक्षक/सहायक छात्रावास अधीक्षक।
5. सूचना पट्ट।

10.12.19

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
N.D.Univ. of Agri.& Tech.
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

Notice 2019

Scanned with CamScanner

यमुना छात्रावास में दिनांक 05.10.2019 को घटित घटना के सम्बन्ध में पुर्नविचार हेतु

दिनांक 05.10.2019 को यमुना छात्रावास में घटित घटना के सम्बन्ध में सम्मिलित छात्रों द्वारा लिखित माफीनामा एवं दण्ड को कम करने के लिए अनुरोध पत्र के आधार पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा पुर्नविचार करने के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 9.1.2020 को की गयी। बैठक में समिति ने अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा पूर्व में गठित समिति के निर्णय एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित अनुशासन समिति की जांच आख्या एवं निर्णय की समीक्षा की। समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित छात्र–छात्रा के नाम के सम्मुख अंकित दण्ड दिये जाने की संस्तुति करती है–

क्र0 सं0	छात्र का नाम	आई0डी0नं0	दण्ड
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार रावत, अमरावती श्री विरेन्द्र प्रताप यादव (ब्रम्हपुत्र) श्री विनय कुमार (अमरावती) श्री अतुल कुमार विश्वकर्मा (अमरावती छात्रावास)	ए–9855 / 17 एफ–9917 / 17 ए–9852 / 17 ए–9760 / 17	1. पूर्ण अध्ययन अवधि के लिए छात्रावास से निष्कासित किया जाय। 2. **पूर्ण अध्ययन अवधि तक कन्डक्ट प्रोवेसन** पर रखा जाय एवं कठोर चेतावनी दी जाय।
2.	श्री शुभम यादव श्री लवकुश (यमुना छात्रावास)	ए–8493 / 15 / 19 ए–8437 / 15 / 19	1. पूर्ण अध्ययन अवधि के लिए छात्रावास से निष्कासित किया जाय। 2. **पूर्ण अध्ययन अवधि तक कन्डक्ट प्रोवेसन** पर रखा जाय एवं कठोर चेतावनी दी जाय।
3.	श्री कौशलेन्द्र सिंह (यमुना छात्रावास)	ए–11147 / 19	1. सत्र 2019–20 के द्वितीय सेमेस्टर एवं 2020–21 का प्रथम सेमेस्टर (एक वर्ष) के लिये छात्रावास से निष्कासित किया जाय। 2. **पूर्ण अध्ययन अवधि तक कन्डक्ट प्रोवेसन** पर रखा जाय एवं कठोर चेतावनी दी जाय।
4.	कु0 शालिनी गौड़ (गोमती छात्रावास)	ए–9714 / 17	कु0 शालिनी गौड को भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से दूर रहने हेतु कठोर चेतावनी दी जाय।

छात्रों को यह भी सूचित कर दिया जाय कि छात्रावास से निष्कासित किये जाने का दण्डावधि में छात्रावास में रहते हुए पाये जाने पर सेमेस्टर जीरो कर दिया जायेगा।

15/1/20 15.01 15/1/2020 Krishna Nand Singh 15.01.2020

(एन0बी0सिंह)	(एच0एन0सिंह)	(बी0एन0राय)	(लक्ष्मी प्रसाद)	(के0एन0सिंह)
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य

Seen. 15-01-2020

Dean Student Welfare
A.N.D. Univ. of Agri.& Tech.
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

Seen 16.1.20

Student Action Proceeding

Scanned with CamScanner

आदेश

दिनांक 05.10.2019 को यमुना छात्रावास में घटित घटना के सम्बन्ध में सम्मिलित छात्रों द्वारा लिखित माफीनामा एवं दण्ड को कम करने के लिए अनुरोध पत्र के आधार पर पुर्नविचार करने के लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के निर्णय एवं संस्तुति पर माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित छात्र–छात्रा के नाम के सम्मुख अंकित दण्ड दिया जाता है–

क्र0 सं0	छात्र का नाम	आई0डी0नं0	दण्ड
1.	श्री [illegible] कुमार रावत, अमरावती श्री [illegible] प्रताप यादव (ब्रम्हपुत्र) श्री [illegible] कुमार (अमरावती) श्री [illegible] कुमार विश्वकर्मा ([illegible] छात्रावास)	ए–9855/17 एफ–9917/17 ए–9852/17 ए–9760/17	1. पूर्ण अध्ययन अवधि के लिए छात्रावास से निष्कासित किया जाता है। 2. **पूर्ण अध्ययन अवधि तक कन्डक्ट प्रोवेसन** एवं कठोर चेतावनी दी जाती है।
[illegible]	श्री [illegible] यादव श्री [illegible] ([illegible] छात्रावास)	ए–8493/15/19 ए–8437/15/19	1. पूर्ण अध्ययन अवधि के लिए छात्रावास से निष्कासित किया जाता है। 2. **पूर्ण अध्ययन अवधि तक कन्डक्ट प्रोवेसन** एवं कठोर चेतावनी दी जाती है।
[illegible]	श्री [illegible] सिंह ([illegible] छात्रावास)	ए–11147/19	1. सत्र 2019–20 के द्वितीय सेमेस्टर एवं 2020–21 का प्रथम सेमेस्टर (एक वर्ष) के लिये छात्रावास से निष्कासित किया जाता है। 2. **पूर्ण अध्ययन अवधि तक कन्डक्ट प्रोवेसन** एवं कठोर चेतावनी दी जाती है।
4.	कु0 [illegible] गौड़ ([illegible] छात्रावास)	ए–9714/17	कु0 शालिनी गौड को भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से दूर रहने हेतु कठोर चेतावनी दी जाती है।

[illegible] यह भी सूचित किया जाता है कि छात्रावास से निष्कासित किये जाने का दण्डावधि में [illegible] में रहते हुए पाये जाने पर <u>सेमेस्टर जीरो</u> कर दिया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

16-01-2020

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Dean Student Welfare
A.N.D.Univ.of Agri.& Tech.
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

कार्यालय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक–एन.डी.यू.ए.टी.–09/04/छात्र अनु0/ 560 /2020 दिनांक: 16-1-2020

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय
3. कुलसचिव।
4. छात्रावास अधीक्षक/सहायक छात्रावास अधीक्षक।
5. सम्बन्धित छात्र–छात्रा के अभिभावक को सूचनार्थ।
6. सूचना पटल।

16-01-2020

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Dean Student Welfare
A.N.D.Univ.of Agri.& Tech.
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

Scanned with CamScanner

दिनांक–06.12.2021

सेवा मे,

छात्रावास अधीक्षक
गंगा छात्रावास
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आकाश सिंह पी0एच0डी0 सेकेंड ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के छात्र हैं, जो कि गंगा हॉस्टल के कमरा नंबर 29 में रहते हैं महोदय इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह लगभग हर दिन शराब पीकर छात्रावास में आते हैं और बालकनी में खड़े होकर गाली गलौज देते रहते हैं और गुटखा खाकर छात्रावास के आंगन में थूकते हैं जिससे गंदगी फैलती है जो कि कई बार पहले मेरे द्वारा अवगत कराया जा चुका है, बीते दिनांक 04.12.2021 को जब मैं इनको दारू पीने से मना किया तो ये मेरे साथ हाथापाई करने पर उतारू हो गए और मेरे बाएं हाथ पर दांत से काट लिया जिसका निशान अभी भी हमारे हाथ पर मौजूद है।

महोदय कल बीती रात में 05 तारीख को कानपुर से मारपीट करने के लिए करीब रात के 3:00 बजे के बाद 10 बाहरी लड़के दो चार पहिये की गाड़ी से आये हुए थे जिसकी सूचना 05.12.2021 के शाम को मैंने दूरभाष के माध्यम से डीएसडब्ल्यू सर, एडीएसडब्ल्यू सर और चीफ वार्डन सर को सूचित कर दिया था सर ने यह बताया कि अगर कोई समस्या हो तो मुझे कॉल करना रात में आकाश सिंह और उसके साथी रात के 3 बजे के बाद जब आये और हास्टल में शोर मचाने लगे और गाली देने लगे तो इसकी सूचना मैंने एडीएसडब्ल्यू सर को फोन के माध्यम से बताया कि यह लोग मारपीट करने पर उतारू है और बाहरी लड़कों को बुलाये हैं इसके करीब 20 मिनट बाद ही एडीएसडब्ल्यू सर सुरक्षाधिकारी के साथ वहां हास्टल में आये और आकाश सिंह का दरवाजा बहुत देर तक खटखटाये और उन्होंने दरवाजा नहीं खोले, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाहरी लड़के मारपीट करने के लिए आये हुए थे वे लोग उनके कमरे में मौजूद थे। महोदय कुछ दिन पहले की बात है कि गेट नंबर 2 पर रात में 10:00 बजे के करीब शराब पीकर आकाश सिंह के द्वारा बवाल किया गया था जिसका फोटो सुरक्षा अधिकारी सर के पास मौजूद है उनके द्वारा चेतावनी भी दी गई थी कि यदि उसके बाद ऐसी हरकत करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त कारणों से छात्रावास में पढ़ाई लिखाई करना, रहना बाधित हो रहा है तथा छात्रावास का माहौल भी इन लोगों की वजह से खराब हो रहा है अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

(Alok Kumar Singh)
Ph.D. (II[nd] Year)
Department of PMB&GE
Id.No.A-11789/20

Scanned with CamScanner

कार्यालय ज्ञाप

गंगा छात्रावास में निवास कर रहे पी0एच0डी0 द्वितीय वर्ष के छात्र श्री आलोक कुमार सिंह द्वारा भेजे गये शिकायत पत्र दिनांक 07.12.2021 को अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में प्राप्त हुआ । जिसके अनुसार दिनांक 04.12.2021 को गंगा छात्रावास के छात्र श्री आलोक कुमार सिंह, पी0एच0डी0 द्वितीय वर्ष को श्री आकाश सिंह पी0एच0डी0 द्वितीय वर्ष द्वारा शराब पीकर हाथापाई की गयी । हाथापाई के दौरान श्री आकाश सिंह ने श्री आलोक कुमार सिंह को दांत से काट लिया गया। श्री आकाश सिंह द्वारा छात्रावास में गाली गलौज एवं गन्दगी फैलाने से पठन–पाठन बाधित हो रहा है। उक्त घटना की जांच हेतु निम्नलिखित कमेटी गठित की जाती है:–

1. डा0 अशोक कुमार मौर्या, छात्रावास अधीक्षक, गंगा छात्रावास	अध्यक्ष
2. डा0 शिवनाथ, सहायक छात्रावास अधीक्षक, गंगा छात्रावास	सदस्य
3. डा0 एन0 ए0 खान, छात्रावास अधीक्षक अनोमा एवं सरस्वती	सदस्य
4. डा0 समीर कुमार सिंह, सहायक छात्रावास अधीक्षक, सरयू छात्रावास	सदस्य

अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए जॉचकर जॉच आख्या दिनांक 16.12.2021 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्त शिकायती पत्र।

13.12.21

(डी० नियोगी)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Dean Student Welfare
A.N.D. Univ. of Agri. & Tech.
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक– एन.डी.यू.ए.टी.–09 / छात्र अनुशासन / 571 /2021 दिनांक 15-12-21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समिति के समस्त सदस्यगण।

13/12/21

(डी० नियोगी)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Dean Student Welfare
A.N.D. Univ. of Agri. & Tech.
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

Student Action Proceeding

Scanned with CamScanner

कार्यालय ज्ञाप

कुमार

जांच आख्या

GANGA HOSTEL
Dispatch No 99
Date 16/12/2024

सेवा में,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
आ०न०दे० कृषि एवं प्रौ० वि०वि० कुमारगंज
अयोध्या

महोदय,

आपके पत्रांक NDUAT-09/छात्र अनुशासन/431/2024 दि० 14-12-24 के सन्दर्भ में गंगा छात्रावास में निवास कर रहे पी०एच०डी० द्वितीय वर्ष के छात्र श्री आलोक कुमार सिंह- A-11789/20 के शिकायत पत्र दिनांक 07/12/24 जो गंगा छात्रावास के छात्र (पी०एच०डी०) द्वितीय वर्ष के श्री आकाश सिंह द्वारा शराब पीकर हाथापाई के सन्दर्भ में गठित जांच कमेटी [illegible] अवगत कराना है कि जांच समिति की बैठक दिनांक 15-12-24 को सांय 3 बजे गंगा छात्रावास के प्रांगण में आयोजित की गयी जिसमें निम्नलिखित छात्र एवं कमेटी के सदस्य उपस्थित थे/

डा० अशोक कुमार - छात्रावास अधीक्षक गंगा छात्रावास - अध्यक्ष
डा० एन०एस० खान - छात्रावास अधीक्षक [illegible] - सदस्य
डा० सुधीर कुमार सिंह - सह० छात्रावास अधीक्षक [illegible] - सदस्य
डा० शिवनाथ / डा० राज कुमार पाठक सह० छात्रावास अधीक्षक - यमुना - सदस्य

जांच के समय उपस्थित छात्र श्री अंकुर कुमार पी०एच०डी० जी०पी०बी० - A-11706/20, अभिषेक सिंह, राहुल रघुवंशी, आशीष श्रीवास्तव, अंकित कुमार, राघवेन्द्र कुमार आर्यन, नरेन्द्र प्रताप वर्मा, शैशव [illegible], आनन्द मिलन, विकास सिंह, जितेन्द्र कुमार, गजराज यादव, अजय सिंह इत्यादि सभी गंगा छात्रावास के छात्र

समिति के सभी सदस्यों ने श्री आलोक कुमार सिंह तथा आकाश सिंह के मध्य उत्पन्न विवाद पर विधिवत सभी पहलुओं पर [illegible] गहन जांच की तत्पश्चात छात्रों जो गंगा छात्रावास में रहते हैं एवं उत्पन्न विवाद के विषय में भी उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया/ सम्यक जांच के पश्चात निष्कर्ष आया कि श्री आकाश सिंह पी०एच०डी० छात्र द्वितीय वर्ष - प्लान्ट पैथो ~~[illegible]~~ लॉजी के छात्र गंगा छात्रावास के कमरा नं० 29 में रहते हैं/

15/12/24
15/12/2024

Scanned with CamScanner

और यदा-कदा कभी-2 अपने कुछ दोस्तो के साथ शराब का सेवन करते है जिसकी वजह से शोर शराबा या गाली गलौज जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है/ इसी तरह की घटना को विराम हेतु श्री आलोक कुमार सिंह - PHD विलियर्स के द्वारा श्री आकाश सिंह के कमरे में दिनांक 04/12/21 को जाके और दबाव पैदा करके घटना को दुबारा न होने हेतु प्रयास किया तथा ताकत का इस्तेमाल किया जिससे आकाश सिंह ने आलोक सिंह के हाथ पर दांत से काटने का प्रयास किया/ उपरोक्त घटनाओं से सम्बन्धित उपरोक्त दोनो छात्रों ने लिखित रूप से क्षमा मांगते हुए दुबारा ऐसी हरकत न करने का आश्वासन दिया है। जिन छात्रों का नाम प्रस्तुत आख्या में उल्लेखित है ने भी आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की घटनाएं दुबारा छात्रावास में नहीं होने दी जायेगी यदि भविष्य में श्री आकाश सिंह श्री आलोक सिंह या किसी भी छात्र की लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ यथाशीघ्र उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी जाय/

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति अपनी निम्नलिखित संस्तुति उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करती है-
उपरोक्त जांच में यह बात प्रकाश में आयी है कि श्री आकाश सिंह पीएच०डी० छात्र-ID MO-11794/20 पादप रोग विज्ञान विभाग ने छात्रावास में शराब का सेवन किया है और अनावश्यक शोर शराबा उत्पन्न किया है तथा बिना छात्रावास अधीक्षक/ सह० छात्रावास अधीक्षक या किसी अन्य पदाधिकारी की अनुमति के अपने कमरे में अपने अतिथियों को रुकने दिया है के क्रम में समिति आकाश सिंह के ऊपर रु० 2000/ (दो हजार) का आर्थिक दण्ड की संस्तुति करती है जो गंगा छात्रावास के खाता संख्या 0652000100208029 में जमा होगा/

[illegible] 15-12-2021
(समीर कुमार सिंह)
सह० [illegible]
सदस्य

[illegible] 15/12/2021
(डा० एन०ए० खान)
छात्रावास अधीक्षक
[illegible]/ [illegible]

[illegible] 15/12/21
(शिवनाथ / [illegible])
सह० छात्रावास अधीक्षक
- यमुना छात्रावास

[illegible] 15/12/21
(अशोक कुमार)
छात्रावास अधीक्षक

Scanned with CamScanner

आदेश

गंगा छात्रावास में निवास कर रहे पी0एच0डी0 द्वितीय वर्ष के छात्र श्री आलोक कुमार सिंह, आई0डी0 नं0 ए–11789/20 द्वारा भेजे गये शिकायती पत्र दिनांक 07.12.2021 के सम्बन्ध में गठित जांच समिति की आख्या के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय के छात्रावास में अनुशासन बनाये रखने हेतु निम्नलिखित छात्रों को उनके सम्मुख अंकित दण्ड दिया जाता है–

क0सं0	छात्र का नाम	आई.डी. नं0	दण्ड
1.	श्री आकाश सिंह पी0एच.डी0 द्वितीय वर्ष	आई.डी.नं0 ए–11794/20	रू0 2000/– का आर्थिक दण्ड दिया जाता है साथ ही साथ कठोर चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में कोई अनुशासनहीनता के कार्य में लिप्त न रहे। उपरोक्त अर्थ दण्ड 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्रावास के खाता सं0 065900010120879 में जमा करना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

06/1/22

(डी0 नियोगी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Dean Student Welfare
N.D. Univ. of Agri. & Tech
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक–एन.डी.यू.ए.टी.–09/छात्र अनु0/2022/520 दिनांक: 6-1-22

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2.अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय।
3.कुलसचिव।
4. छात्रवास अधीक्षक/सहायक छात्रावास अधीक्षक को इस आशय से कि उक्त का कडाई से पालन करने हेतु।
5.सम्बन्धित छात्र।

06/1/22

(डी नियोगी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Dean Student Welfare
N.D. Univ. of Agri. & Tech
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

Student Action Proceeding

Scanned with CamScanner

Fwd: Ref No. ARCC/ UP-6941

Inbox

Police Station Kumarganj Faizabad <kumarganjfzd@gmail.com>
to me

Dec 7, 2021, 9:38 PM (17 hours ago)

---------- Forwarded message ---------
From: **Anti-Ragging Helpline** <helpline@antiragging.in>
Date: Tue, 7 Dec 2021, 16:23
Subject: Ref No. ARCC/ UP-6941
To: <registrar.nd.15@gmail.com>
Cc: <kumarganjfzd@gmail.com>, <sspfzd-up@nic.in>, <kachrooraj@gmail.com>, <deepak.syrex@gmail.com>, <chetna2927@gmail.com>

Ref No. ARCC/ UP-6941

(NOTE:Please mention the above given Ref No in your reply)

Dear Sir/Madam,
We have received a complaint of ragging from a student of NARENDRA DEO UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, FAIZABAD. The details are given below.
You are requested to identify & counsel the victim so that she feels safe and knows that authorities are with her & action will be taken on her complaint. You are also requested not to disclose the identity of the victim.
"**7.1 Action to be taken by the Head of the institution by the order of Hon. Supreme Court:**

on receipt of any information concerning ....any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

v. Violation of decency and morals through ragging;

vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;

x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;

xi. Extortion;

xvii. Physical or psychological humiliation;

NOTE: Enquiry /Investigation /Disciplinary Committee reports etc. are not acceptable. As per UGC regulations only report of the Anti Ragging Committee is acceptable.

You can read – what constitutes Ragging on the following link: https://www.amanmovement.org/registration/public/amanmovement/what_constitues_ragging.pdf

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7823260_Anti-Ragging-3rd-Amendment.pdf

Kindly mention the Regulatory Authority of your reputed Institution/University (i.e., UGC, MCI, NAAC, MHRD, AICTE etc.) and if we are failed to contact you, call us on our helpline number, so that we can brief the case to you.

Thanks & Regards.
Swati

Supervisor
ID: 12315
Anti-Ragging & Anti-Racial Abuse Helpline :1800-180-5522
helpline@antiragging.in

Gmail Search mail

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7823260_Anti-Ragging-3rd-Amendment.pdf

6

Kindly mention the Regulatory Authority of your reputed Institution/University (i.e., UGC, MCI, NAAC, MHRD,

Thanks & Regards.
Swati

Supervisor
ID: 12315
Anti-Ragging & Anti-Racial Abuse Helpline :1800-180-5522
helpline@antiragging.in

BASIC CC

Complaint Registered Through Email

Complaint Of Ragging

Complaint Type:	Normal
Complaint Date:	07 Dec 2021 11:53:52
Case Name:	NOL783
Name Of College:	NARENDRA DEO UNIVERSITY OF AGRICULT
State:	Uttar Pradesh
Affiliating University:	NARENDRA DEO UNIVERSITY OF AGRICULT

N

Fil

Complaint Details:

Hello Antiragging I am student of Acharya Narendra Deva University Of Agricult am student of M.sc soil science first semester. 6 December 2021 is my first da whole night I am crying & Stayed out my room.Here I mention the seniors name

Gmail Registrar N.D.U.A.T. <registrar.nd.15@gmail.com>

Ref No. ARCC/ UP-6941

1 message

Anti-Ragging Helpline <helpline@antiragging.in> Wed, Dec 8, 2021 at 12:55 PM
To: registrar.nd.15@gmail.com
Cc: kachrooraj@gmail.com, deepak.syrex@gmail.com, chetna2927@gmail.com

RECEIPT
No. 3927
Date 09/12/2021
Registrar Office
A.N.D.U.A.T. K.A.

Ref No. ARCC/ UP-6941

(NOTE:Please mention the above given Ref No in your reply)

Dear Sir/Madam,
FORMAT OF THE ARC REPORT-

This mail is to inform that we have already forwarded you a complaint. Kindly consider this mail as a remainder and send us revert on the action taken by you for the following complaint. The details which are required mentioned below, your earliest response would be appreciated.

(i) Details of investigation done by anti ragging committee members,

(ii) Conclusions of the investigations,

(iii) List of the anti ragging committee members along with their signatures, position of the members and screenshot of video conferencing in Anti Ragging Committee.(i.e., chairman, convenor or member etc.) and their contact details (Active Mobile Number and email address).

OR

Snapshot of Video conferencing meeting that you have done.

(iv) Report should be on Letter Head of the institution or with the stamp of the Head of Institution in pdf, Doc or JPEG format along with all supported documents.

(v) Kindly mention your Regulatory Authority (i.e., UGC, MCI, NAAC, MHRD, AICTE, CBSE etc.)

(vi) Details of punishment for the culprits - if any etc.

NOTE- Enquiry /Investigation /Disciplinary Committee reports etc. are not acceptable. As per UGC regulations only report of the Anti Ragging Committee is acceptable.

This is to inform you that you can read – what constitutes Ragging on the following link: https://www.amanmovement.org/registration/public/amanmovement/what_constitues_ragging.pdf

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7823260_Anti-Ragging-3rd-Amendment.pdf

We will await your response before we recommend this case for further action. A personal dispute between students is Ragging. ✓

Thanks & Regards

Swati

Supervisor
ID: 12315
Anti-Ragging & Anti-Racial Abuse Helpline :1800-180-5522
helpline@antiragging.in

BASIC COMPLAINT DETAILS

Complaint Registered Through Email

Complaint Of Ragging

Complaint Type:	Normal
Complaint Date:	07 Dec 2021 11:53:52
Case Name:	NOL783
Name Of College:	NARENDRA DEO UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, FAIZABAD

State: Uttar Pradesh

Affiliating University: NARENDRA DEO UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, FAIZABAD

Complaint Details:

Hello Antiragging I am student of Acharya Narendra Deva University Of Agriculture And Technology, Kumarganj, Ayodhya University in faizabad & Uttar Pradesh here I am student of M.sc soil science first semester. 6 December 2021 is my first day of rapati girls hostel here some of senior of PhD first year who started harassed me whole night I am crying & Stayed out my room.Here I mention the seniors name Anushka Pandey PhD first year Meteorology,Ragini Devi PhD frist year Entomology & Vartika PhD third year.sir please take action against to all. M.sc first semester soil science

नोटिस

रिफरेन्स नं0 ए0आर0सी0सी0 / यू0पी0–6941 दिनॉक 7 दिसम्बर, 2021 जो रैगिग से सम्बन्धित शिकायत का सन्दर्भ है। इस सम्बन्ध मे एन्टी रैगिग समिति की एक बैठक दिनॉक 10.12.2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे एन्टी रैगिग समिति की अध्यता मे कुलपति महोदय के सभाकक्ष मे आहुत की गयी है, जिसमे समिति के निम्न सदस्यों का प्रतिभाग करना आवश्यक है :–

1. डा0 आर0के0 मेहता, कुलसचिव
2. डा0 ए0के0 सिंह, निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण
3. डा0 वेद प्रकाश, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय / डीन– पी0जी0एस0
4. डा0 ए0पी0 राव, निदेशक प्रसार
5. डा0 ओ0पी0 राव, अधिष्ठाता, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय
6. डा0 आर0के0 जोशी, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय
7. डा0 पी0एस0 परमानिक, अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय
8. ई0 महेन्द्र राय, अधिष्ठाता, कृषि अभियन्त्रण महाविद्यालय
9. डा0 नमिता जोशी, अधिष्ठाता, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय
10. डा0 डी0के0 सिंह, सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटवा, आजमगढ़
11. डा0 एस0पी0 सिंह, सह अधिष्ठाता, छात्र कल्यांण
12. डा0 जसवन्त सिंह, सह प्राध्यापक, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय
13. श्री राजेश सिंह, सुरक्षाधिकारी
14. डप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर
15. क्षेत्राधिकारी, पुलिस, मिल्कीपुर

(डी0 नियोगी)
अधिष्ठाता छात्र कल्यांण

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्यांण
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक ANDUAT / 2021/458 दिनॉक 09 दिसम्बर, 2021

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समिति के समस्त सदस्य
2. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ
3. व्यवस्था पत्रावली

09/12/21

(डी0 नियोगी)
अधिष्ठाता छात्र कल्यांण

सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक ए0एन0डी0यू0ए0टी0 / 2021 / 458 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के द्वारा एन्टी रैगिंग समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे एन्टी रैगिग समिति की अध्यक्षता में कुलपति महोदय के सभाकक्ष में आहुत की गयी थी किन्तु किसी कारणोंवस उक्त बैठक स्थगित कर दी गयी थी। पुनः एन्टी रैगिंग समिति की बैठक दिनांक 11.12.2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कुलपति महोदय के सभाकक्ष में सुनिश्चित की गयी है, जिसमें समिति के निम्न सदस्यों का प्रतिभाग करना आवश्यक है–

1. डा0 आर0के0 मेहता, कुलपसचिव।
2. डा0 ए0के0 सिंह, निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण ।
3. डा0 वेद प्रकाश, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय / अधिष्ठाता पी0जी0एस0।
4. डा0 ए0पी0 राव, निदेशक प्रसार।
5. डा0 ओ0 पी0 राव, अधिष्ठाता, उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय।
6. डा0 आर0के0 जोशी, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय।
7. डा0 पी0एस0 परमानिक, अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय।
8. इ0 महेन्द्र राय, अधिष्ठाता, कृषि अभियन्त्रण महाविद्यालय।
9. डा0 नामिता जोशी, अधिष्ठाता, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय।
10. डा0 डी0के0 सिंह, सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटवा, आजमगढ़।
11. डा0 एस0पी0 सिंह, सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
12. डा0 जसवन्त सिंह, सह प्राध्यापक, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय।
13. श्री राजेश सिंह, सुरक्षा अधिकारी।
14. उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर।
15. क्षेत्राधिकारी, पुलिस, मिल्कीपुर।

(डी0 नियोगी)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या

पत्रांक–ए.एन.डी.यू.ए.टी.–09 / सूचना / 2021 / 463 दिनांकः 10.12.2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
3. पत्रावली।

10/12/21

(डी0 नियोगी)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Dean Student Welfare
N.D.Univ.of Agri.& Tech.
Narendra Nagar-Kumarganj
Ayodhya

Notice Hindi 2021

विश्वविद्यालय की रैगिग विरोधी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2021 को प्रातः 11.00 बजे को कुलपति सभा कक्ष में कुलपति जी (Chairman, Antiragging committee)की अध्यक्षता में आहुत की गयी बैठक में निम्न सदस्यों ने प्रतिभाग किया –

उपस्थिति

1.	डा0 विजेन्द्र सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा0 आर.के. जोशी, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय	सदस्य
3.	डा0 डी. नियोगी, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	सदस्य
4.	डा0 वेद प्रकाश, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय / डीन, पी.जी.एस.	सदस्य
5.	इ0 महेन्द्र राय, अधिष्ठाता, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय	सदस्य
6.	डा0 ए.के. सिंह, निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण	सदस्य
7.	डा0 नमिता जोशी, अधिष्ठाता, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय	सदस्य
8.	डा0 एस.पी. सिंह, सह अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	सदस्य
9.	डा0 जसवंत सिंह, सह प्राध्यापक, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय	सदस्य
10.	श्री आर.के. सिंह, सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
11.	डा0 अनिल कुमार सिंह, सह प्राध्यापक, कोटवा, आजमगढ़	सदस्य
12.	श्री हेमन्त कुमार गुप्ता, तहसीलदार, मिल्कीपुर	सदस्य
13.	श्री संतोष कुमार मौर्य, एस.आई., चौकी इंचार्ज, विश्वविद्यालय	सदस्य
14.	डा0 ए0 पी0 राव निदेशक प्रसार	सदस्य

समिति द्वारा Anti ragging helpline से प्राप्त शिकायत संख्या ARCC/UP-6941 दिनांक 08.12.2021 पर विमर्श किया गया। उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता छात्रा कु0 रूपा पटेल M. Sc. Ag. प्रथम वर्ष (Soil Science) की छात्रा स्वंय समिति के समक्ष उपस्थित हुयी। समिति द्वारा कु0 रूपा से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी तथा उनके द्वारा लिखित बयान भी प्रस्तुत किया गया। शिकायत में संलिप्त तीन छात्राओं में से दो छात्रायें, कु0 अनुष्का पाण्डेय पी.एच.डी. (प्रथम वर्ष) मौसम विज्ञान तथा कु0 रागिनी देवी पी.एच.डी. (प्रथम वर्ष) कीट विज्ञान भी समिति के समक्ष उपस्थित हुई। इनके द्वारा भी घटना का विवरण प्रस्तुत किया गया तथा लिखित बयान दर्ज कराया गया।

प्रकरण के सभी तथ्यों पर समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। सभी तथ्यों पर विचारोपरांत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त घटना छात्राओं के बीच आपसी गलतफहमी के कारण हुयी। कु0 रूपा पटेल ने दिनांक 07.12.2021 को छात्रावास में प्रवेश लिया था तथा उन्हे अस्थायी रूप से कु0 अनुष्का एवं कु0 रागिनी देवी के साथ एक ही कमरे में रोका गया। ये सभी प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं। जानकारी के अभाव में कु0 अनुष्का एवं कु0 रागिनी देवी द्वारा कु0 रूपा से कमरे में रहने संबंधी जानकारी चाही गयी जिसे कु0 रूपा को असहज महसूस हुआ। उक्त तथ्य छात्राओं द्वारा दिए गए वयानों से भी स्पष्ट है। तथा शिकायतकर्ता कु0 रूपा द्वारा भी यह स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण में रैगिंग के उद्देश्य से किसी भी कृत्य के किए जाने का प्रमाण नही है। क्योंकि यह सभी छात्राएं वर्तमान सत्र में प्रथम वर्ष में प्रवेशित हैं।

Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology
Kumarganj, Ayodhya-224 229 (U.P.) India
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0)

जांच आख्या

विश्वविद्यालय की रैगिंग विरोधी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2021 को प्रातः 11.00 बजे को कुलपति सभा कक्ष में कुलपति जी (Chairman, Anti Ragging Committee) की अध्यक्षता में आहूत की गयी बैठक में निम्न सदस्यों ने प्रतिभाग किया –

उपस्थिति

1. डा0 बिजेन्द्र सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. डा0 आर.के. जोशी, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय	सदस्य
3. डा0 डी. नियोगी, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	सदस्य
4. डा0 ए0पी0 राव, निदेशक प्रसार	सदस्य
5. डा0 वेद प्रकाश, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय / डीन, पी.जी.एस.	सदस्य
6. इ0 महेन्द्र राय, अधिष्ठाता, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय	सदस्य
7. डा0 ए.के. सिंह, निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण	सदस्य
8. डा0 नमिता जोशी, अधिष्ठाता, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय	सदस्य
9. डा0 एस.पी. सिंह, सह अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	सदस्य
10. डा0 जसवंत सिंह, सह प्राध्यापक, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय	सदस्य
11. श्री आर.के. सिंह, सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
12. डा0 अनिल कुमार सिंह, सह प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़	सदस्य
13. श्री हेमन्त कुमार गुप्ता, तहसीलदार, मिल्कीपुर	सदस्य
14. श्री संतोष कुमार मौर्य, एस.आई., चौकी इंचार्ज, विश्वविद्यालय	सदस्य

समिति द्वारा Anti Ragging Helpline से प्राप्त शिकायत संख्या ARCC/UP-6941 दिनांक 07.12.2021 पर विचार–विमर्श किया गया। उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता कु0 रूपा पटेल M.Sc. Ag. प्रथम वर्ष (Soil Science) की छात्रा स्वंय समिति के समक्ष उपस्थित हुयी। समिति द्वारा कु0 रूपा से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी तथा उनके द्वारा लिखित बयान भी प्रस्तुत किया गया। शिकायत में शामिल तीन छात्राओं में से दो छात्रायें, कु0 अनुष्का पाण्डेय पी.एच.डी. (प्रथम वर्ष) मौसम विज्ञान तथा कु0 रागिनी देवी पी.एच.डी. (प्रथम वर्ष) कीट विज्ञान भी समिति के समक्ष उपस्थित हुई। इनके द्वारा भी घटना का विवरण प्रस्तुत किया गया तथा लिखित बयान दर्ज कराया गया।

प्रकरण के सभी तथ्यों पर समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। सभी तथ्यों पर विचारोपरांत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त घटना छात्राओं के बीच आपसी गलतफहमी के कारण हुयी। कु0 रूपा पटेल ने दिनांक 07.12.2021 को छात्रावास में प्रवेश लिया था तथा उन्हें अस्थायी रूप से कु0 अनुष्का एवं कु0 रागिनी देवी के साथ एक ही कमरे में रोका गया। ये सभी प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं। जानकारी के अभाव में कु0 अनुष्का एवं कु0 रागिनी देवी द्वारा कु0 रूपा से कमरे में रहने संबंधी जानकारी चाही गयी जिसे कु0 रूपा को असहज महसूस हुआ। उक्त तथ्य छात्राओं द्वारा दिए गए बयानों से भी स्पष्ट है तथा शिकायतकर्ता कु0 रूपा द्वारा भी यह स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण में रैगिंग के उद्देश्य से किसी भी कृत्य के किए जाने का प्रमाण नही है, क्योंकि यह सभी छात्राएं वर्तमान सत्र में प्रथम वर्ष में प्रवेशित हैं।

11.12.21

(बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष, एण्टी रेगिंग कमेटी